## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/यू0जी0–2022/374 लखनऊःदिनांक 14 फरवरी, 2022

## यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही करा सके हैं, वह पंजीकरण शुल्क रु0 2,000/– जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग मे प्रतिभाग कर सकते है।
2. प्रथम चक्र से पंजीकृत एवं द्वितीय चक्र से पंजीकृत होने वाले अभ्यर्थियों को सम्मलित करते हुये ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग हेतु स्टेट मेरिट जारी की जायेगी।
3. कांउसिलिंग हेतु वही अभ्यर्थी ही अर्ह होगें जिन्होने अपने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराया हो तथा सिक्योरिटी फीस का बैंक ड्राफ्ट जमा किया हो।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पहले चक्र से अपने डाक्यूमेन्ट सत्यापित नही करा पाये है, वह निर्धारित तिथि में डाक्यूमेन्ट सत्यापित कराते हुये कांउसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते है।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र के दौरान अपने डाक्यूमेन्ट सत्यापित कर लिये थे, परन्तु आरक्षण से संबंधित कोई डाक्यूमेन्ट सत्यापित होने से छूट गया हो, निर्धारित तिथि में डाक्यूमेन्ट सत्यापित करा सकते है।
6. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण कराया था, उन्हें द्वितीय चक्र काउंसिलिंग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है।
7. जिन अभ्यर्थियो को प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नही हुई है, वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह है।
8. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण तो कराया था, किन्तु सिक्योरिटी धनराशि जमा नही की गयी थी। वह अपनी सिक्योरिटी धनराशि जमा कर काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते है।
9. ऐसे अभ्यर्थी, जिनको प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से सीट का आवंटन हुआ है और आवंटित सीट पर प्रवेश नही लिया गया है, **ऐसे अभ्यर्थी सिक्योरिटी धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।**
10. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन/उच्चीकरण द्वितीय मेरिट के आधार पर होगा।

11. Choice Locking और Login Password एक ही है अतः Choice Locking के लिए वही Password use करें, जो Login करते समय किया था।

12. विकल्पों को भरने (Choice Filling) के उपरान्त उनको Lock करना अनिवार्य है। Choice Lock न करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रक्रिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

13. प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से (प्रवेशित) सीट का विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। यदि नये विकल्पों के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो पुरानी आवंटित सीट Retain रहेगी।

14. नये आवंटन की दशा में पुराना आवंटित कालेज की सीट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर किसी भी दशा में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

15. यदि विकल्पों में पुराना आवंटित कालेज भरा गया और वह फिर से नये आवंटन की तरह से आवंटित हो गया, तो पुनः नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर सीट पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त हो जायेगा। तथा सीट मॉप–अप राउन्ड में चली जायेगी।

16. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें यदि रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटें सामान्य श्रेणी की ओपन केटेगरी से भरी जायेंगी।

17. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय अथवा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। तत्पश्चात् प्रवेशित कालेज में रिपोर्ट करने के पश्चात् अन्य शुल्क जमा करें।

18. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, अपग्रेड नहीं करना चाहते है, उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में विकल्प (Choice) भरने की आवश्यकता नहीं है।

19. आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को राजकीय/स्वशासी/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य है।

20. भारत सरकार के नोटिस दिनांक 01.02.2022 के आधार पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र–2021–22, 14 फरवरी 2022 से प्रारम्भ होना निर्धारित है।

21. द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के बाद अपनी सीट से त्याग–पत्र देने की अनुमति नही होगी।

22. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने स्तर से संबंधित कालेज के बारे में अपने स्तर से सभी प्रकार की जानकारी स्वयं कर लें, अन्यथा की स्थिति में महानिदेशक की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

23. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट में से कोई एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है वह सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ राजकीय कोटें की सीटों हेतु अर्ह होगें, सामान्य निवास प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2021 के बाद का बना होना अनिवार्य है।

24. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट दोनो परीक्षायें उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है वह शासनादेश के कम में प्रारूप–02 पर डोमिसाईल/ निवास प्रमाण पत्र के साथ राजकीय कोटें की सीटों हेतु अर्ह होगें।

25. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र, अन्य पिछडा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र 01 अप्रैल 2021 अथवा उसके बाद का बना होना अनिवार्य है।

महानिदेशक